राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड

Rajasthan Livestock Development Board

Registered body of Dept. of Animal Husbandry, Govt. of Rajasthan under the Rajasthan Societies Registration Act 1958 (Act 28 of 1958)
(Registration No. 638/Jaipur/1997-98 dt. 25.03.1998)

क्रमांकः आर.एल.डी.बी. / ५६५४ दिनांकः ०५/०१/१०

परिपत्र

आर.एल.डी.बी. के अधिकारियों द्वारा जयपुर, सीकर, दौसा, पाली, अजमेर, टोंक तथा भीलवाडा की विभिन्न संस्थाओं के निरीक्षण के पश्चात निम्नांकित बिन्दु दृष्टिगत हुये। श्रीमान अध्यक्ष महोदय आर.एल.डी.बी. एवं प्रमुख शासन सचिव कृषि, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निर्देशानुसार राज्य के समस्त जिलों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे–

1. संस्थाओं में संधारित जारों पर सीमन के नस्लवार टैग आवश्यक रूप से लगाये जावें।
2. सीमन की थॉईगं तकनीकी रुप से की जावे।
3. सीमन ट्रांसफर हेतु स्ट्रा होल्डिंग फॉरसेप का उपयोग आवश्यक रूप से किया जावे। किसी भी स्थिति में हाथ से स्ट्रा नही निकाली जावे एवं केनिस्टर फॉस्ट लाईन से उपर नहीं लाया जावे।
4. थॉईगं हेतु थर्मसफ्लास्क का उपयोग किया जावे।
5. संस्थाओं में स्ट्रा को काटने हेतु उपयुक्त सीजर उपलब्ध करवाई जावे।
6. केमिकल स्टरलाईजर का उपयोग किया जावे। इसके लिए फॉरमेलिन की टेब्लेट्स संस्थाओं को उपलब्ध करवाई जावे।
7. ब्रीडिंग कार्ड का संधारण उचित रुप से किया जावे। ब्रीडिंग कार्ड पर पशुपालक का मोबाईल नम्बर अंकित किया जावे। ब्रीडिंग कार्ड में कृत्रिम गर्भाधान का रिकार्ड अंकित करने के बाद फॉलोअप, वत्स उत्पादन, स्वास्थ्य रक्षा (टीकाकरण, डीवर्मिंग) आदि का भी उल्लेख आवश्यक रुप से किया जावे। फॉलोअप हेतु ब्रीडिंग कार्ड का प्रभावी उपयोग किया जावे।
8. फॉलोअप ठीक प्रकार से करते हुए रजिस्टर में गर्भ परीक्षण किसने, कहां व कब किया इसका उल्लेख भी किया जावें। अधिकांश संस्थाओं में शत–प्रतिशत फॉलोअप दिखाया जा रहा है, जो कि प्रेक्टिकली संभव नही है। अतः वास्तविक फॉलोअप की संख्या ही दर्शाई जावे।
9. वत्स उत्पादन का रिकार्ड उचित रुप से संधारित किया जावे तथा वत्स उत्पादन का भौतिक सत्यापन किया जावे।
10. सीमन के संधारण हेतु तीन लीटर के जार में सातवें दिन तरल नत्रजन भरवाने के साथ–साथ यह ध्यान नहीं रखा जा रहा कि सीमन स्ट्रा सदैव तरल नत्रजन में डूबी रहनी चाहिये, चाहे इसके लिये कभी भी दोबारा तरल नत्रजन भरवानी पडे। अतः तरल नत्रजन आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में जार में भरवाई जाती रहे।
11. फीडिंग सेन्टरों द्वारा संस्थाओं को प्रत्येक माह की निर्धारित 1 एवं 15 तारीख को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य थर्मोकॉल बॉक्स में तरल नत्रजन डालकर सीमन वितरित किया जावे।
12. पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नियमित प्रभावी पर्यवेक्षण किया जावे।
13. पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय–2 पर सीमन की मॉटिलिटी एवं वत्स उत्पादन की रेन्डम आधार पर भौतिक जांच आवश्यक रूप से की जावे।
14. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय पर निवास किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

लगातार...2

15. कृत्रिम गर्भाधान के आंकडे उचित रुप से दर्ज नहीं किये जा रहे हैं। कोई भी पशु कृत्रिम गर्भाधान के समय रिपीट ब्रीडर के रुप में दर्ज न हो कर हर बार नये पशु के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रातः एवं सांयकाल यदि एक ही पशु में दो बार कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो नाम पृथक–पृथक लिखे जाते है एवं उनका गर्भ परीक्षण व वत्स उत्पादन भी डबल लिख दिये जाते हैं। अतः वास्तव में जितने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, पशुपालकों के नाम उससे अधिक के लिखे जाते हैं। अतः कृत्रिम गर्भाधान के सही आंकड़े प्रदर्शित किये जावे।
16. फर्टिलिटी केम्प के आयोजन से पूर्व क्षेत्र का सर्वे कर बांझ पशुओं को चिन्हित किया जावे तथा शिविरों के दौरान उन पशुओं का प्राथमिकता से चिकित्सा कर रोग निवारण किया जावे। शिविर के पश्चात निकट के पशु चिकित्सालय द्वारा ऐसे पशुओं का फॉलोअप भी सुनिश्चित किया जावे।
17. फर्टिलिटी केम्पों के आयोजन से पूर्व क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे जिससे अधिक से अधिक पशुओं तथा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सके।
18. प्राकृतिक परिसेवा हेतु वितरित साण्डों/पाडों की टैंगिग तथा गिरे हुयें टैगों की रि–टैगिंग पर विशे ध्यान दिया जावे जिससे दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम में कोई बाधा नही आवे।
19. प्राकृतिक परिसेवा हेतु वितरित साण्डों/पाडों का तीन वर्ष पश्चात बदलाव सुनिश्चित किया जावे।
20. फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी द्वारा सप्लाई किया जा रहा हिमकृत वीर्य कई स्थानों पर ब्रेकेज स्ट्रा, बिना प्लग की स्ट्रा तथा बिना साण्ड एवं नस्ल की डिटेल के अंकित किये सीमन वितरित किये जाने एवं एक ही कलर की स्ट्रा में एक से अधिक नस्ल के साण्डों के वीर्य की स्ट्रा वितरित किये जाने का उल्लेख जिला अधिकारियों एवं प्रभारी संस्थाओं द्वारा किया गया है। अतः ऐसी स्ट्रा को फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी में पुनः भिजवाया जाना सुनिश्चित करते हुए सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करवाई जावे।
21. विभागीय फार्मो के माध्यम से एवं प्राकृतिक परिसेवा हेतु वितरित सांडों/पाडों का फॉलोअप किया जावे कि वितरित सांड/पाडे कहॉ–कहॉ पर उपलब्ध हैं, इन्हें किसके द्वारा संधारित किया जा रहा है, इनके द्वारा कितनी प्राकृतिक परिसेवा उपलब्ध करवाई जा रही है, की नियमित मॉनिटरिंग की जावे एवं इनकी स्वास्थ्य रक्षा डीवर्मिंग हेतु निकटतम पशु चिकित्सा संस्था को सम्बद्ध किया जावे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रमांकः आर.एल.डी.बी./ 4649-4728 दिनांकः 25/1/10

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय आरएलडीबी एवं प्रमुख शासन सचिव कृषि, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग।
3. अति. निदेशक(उत्पादन), निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक(क्षेत्र), पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. महा प्रबन्धक (FO&AH), राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0, सरस संकुल, जयपुर।
6. प्रबन्धक फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी को बिन्दू संख्या 20 के क्रम में उचित कार्यवाही हेतु।
7. समस्त उपनिदेशक, पशुपालन विभाग,राजस्थान
8. समस्त सहायक निदेशक, पशुधन विकास, पशुपालन विभाग,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बिंदुओं की अनुपालना सुनिश्चित करवाकर एक माह में रिपोर्ट प्रेषित करे।
9. लेखा शाखा, आरएलडीबी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी